पूरी हो सकें। अतः वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत ग्रामीण शाखाओं के अपने-अपने सेवा क्षेत्र में अतिरिक्त शाखाएं खोलने की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना विभिन्न बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया है।

आरबीआई द्वारा सूचित उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्रों में मार्च, 1996 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की जिला-वार संख्या और इन क्षेत्रों का ऋण-जमा अनुपात इस प्रकार है:—

जिला	शाखाओं की संख्या	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)
1. टिहरी गढ़वाल	72	14.1
2. देहरादून	143	17.1
3. नैनीताल	158	44.3
4. उत्तर काशी	26	25.1
5. पौड़ी	101	13.3
6. अल्मोड़ा	98	16.4

आरबीआई ने ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स को उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिला के न्यू टिहरी में अपनी शाखा खोलने की अनुमति दी है। आशा है कि एक वर्ष की वैधता-अवधि के भीतर ही बैंक यह शाखा खोल लेगा।

Payment of disturbed area allowance to employees of AIR and Doordarshan

*234. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether his Ministry has collected information regarding the amount of disturbed area allowance paid during each of the last three years to the employees of Doordarshan and All india Rado posted in disturbed areas;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) to (c) The employees of Doordarshan and All India Radio posted in Manipur, Assam, Nagaland and part of Tripura which have been declared as Disturbed Areas under the Armed Forces (Special Powers) act, 1958 have not been paid Disturbed Area Allowance during the last three years. The Disturbed area Allowance is admissible only when Ministry of Finance grants it and that Ministry has not granted this allowance during the last three years.

उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास

*235. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार चमोली जिले में जोशीमठ को पर्यटक स्थल घोषित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना): (क) से (ङ) जी, हां। पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध पर पर्यटन का एकीकृत विकास करने के लिए हाल ही में वाराणसी-सारनाथ, गौरखपुर-कुशीनगर, सुनौली-पिपरहवा-सिंकिशा-कौशाम्बी-श्रावस्ती-लखनऊ (बौद्ध परिपथ) की पहचान की है।

गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार को 401.65 लाख रुपए की राशि की 26 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 92 में, ऋषिकेश-नरेन्दरनगर-गंगोत्री-बद्रीनाथ परिपथ को एकीकृत विकास के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।